रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277520
CG-DL-E-30102026-277520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5620] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5620] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5845(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओड़िशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-353 के किमी 80+330 (नुआपड़ा) से किमी 88+497 (घटीपाड़ा) तक मौजूदा 2लेन+पीएस को 4लेन+पीएस में ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, नुआपाड़ा को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

ओड़िशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-353 के किमी 80+330 (नुआपड़ा) से किमी 88+497 (घटीपाड़ा) तक मौजूदा 2लेन+पीएस को 4लेन+पीएस में ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			**जिले का नाम: नुआपाड़ा**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: नुआपाड़ा					
गांव का नाम: खोक्सा					
1	486/1258	निजी	रेसिडेंशियल	0.04 (एकर)	0.0161878
गांव का नाम: महुआभाता					
2	2171/2184	निजी	एग्रीकल्चर	0.0125 (एकर)	0.0050587
3	762	निजी	एग्रीकल्चर	0.045 (एकर)	0.0182112
4	762/2098	निजी	रेसिडेंशियल	0.0126 (एकर)	0.0050992
5	762/2099	निजी	एग्रीकल्चर	0.0049 (एकर)	0.001983
6	762/2171	निजी	एग्रीकल्चर	0.0212 (एकर)	0.0085795
7	762/2188	निजी	एग्रीकल्चर	0.0115 (एकर)	0.004654
8	762/2335	निजी	रेसिडेंशियल	0.0191 (एकर)	0.0077297
9	762/2446	निजी	एग्रीकल्चर	0.0206 (एकर)	0.0083367
10	762/2688	निजी	एग्रीकल्चर	0.0612 (एकर)	0.0247673
11	762/2731	निजी	एग्रीकल्चर	0.0092 (एकर)	0.0037232
12	762/2928	निजी	एग्रीकल्चर	0.0138 (एकर)	0.0055848
13	763/2912	निजी	रेसिडेंशियल	0.002 (एकर)	0.0008094
				Total	**0.1107245**

[फा. सं .RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5845(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Widening and Strengthening of existing 2L+PS to 4L+PS from Km 80+330 (Nuapada) to Km 88+497 (Ghatipada) of NH-353 in the State of Odisha on EPC Mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Nuapada in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Widening and Strengthening of existing 2L+PS to 4L+PS from Km 80+330 (Nuapada) to Km 88+497 (Ghatipada) of NH-353 in the State of Odisha on EPC Mode

State: ODISHA			**District: NUAPADA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: NUAPADA					
Village: Khoksa					
1	486/1258	Private	Residential	0.04 (Acre)	0.0161878
Village: Mahuabhata					
2	2171/2184	Private	Agriculture	0.0125 (Acre)	0.0050587
3	762	Private	Agriculture	0.045 (Acre)	0.0182112
4	762/2098	Private	Residential	0.0126 (Acre)	0.0050992
5	762/2099	Private	Agriculture	0.0049 (Acre)	0.001983
6	762/2171	Private	Agriculture	0.0212 (Acre)	0.0085795
7	762/2188	Private	Agriculture	0.0115 (Acre)	0.004654
8	762/2335	Private	Residential	0.0191 (Acre)	0.0077297
9	762/2446	Private	Agriculture	0.0206 (Acre)	0.0083367
10	762/2688	Private	Agriculture	0.0612 (Acre)	0.0247673
11	762/2731	Private	Agriculture	0.0092 (Acre)	0.0037232
12	762/2928	Private	Agriculture	0.0138 (Acre)	0.0055848
13	763/2912	Private	Residential	0.002 (Acre)	0.0008094
				Total	**0.1107245**

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.30 17:26:25 +05'30'